न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़

बनाम शिवदत्त वगैरह

मुकदमा नं. 6, 29/17

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
216/18 आज यह पत्रावली राजस्व लेख अपील अधिनियम नियम आपके द्वारा प्रेम शर्मा में एक इश्तिहार जारी समझाइश किया गया। यह इश्तिहार वादी द्वारा प्रतिवादीगण को विवादित आराजी खसरा 87 रकबा 17 बिस्वा 108 रकबा, 03 बिस्वा, 115 रकबा 15 बिस्वा, स्थित ग्राम गर्ग तहसील रामगढ़ पर अपने विपक्षियान से पाबन्द करने के लिए कि वे विवादित आराजी में कोई हस्तक्षेप न करें और पाबन्दी में बनी सड़क को घेरे विवादित का कब्जा न करने बाबत एक डिक्री है। समझाइश की गयी पत्रावली का आवश्यकता किया गया। पत्रावली में गयी। प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति से इन्कार किया इस प्रकार मुल्क मुद्दा आदि की पैमाइश का है।

अतः हवाला आदेश के समक्ष डिक्री किया जाता है कि तहसीलदार रामगढ़ विवादित आराजी की पैमाइश करवा आवश्यकता होने पर प्रतिवादीगण की आराजी की पैमाइश करावें। यदि पैमाइश के दौरान आपत्ति पाया जाता है उसे तुरन्त इत्तला प्रार्थना वादी को दिया जावे। बाद पैमाइश प्रतिवादीगण के खिलाफ विपक्षियान से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की विवादित आराजी 108/87 रकबा, 115 रकबा स्थित ग्राम गर्ग तहसील रामगढ़ पर वादी के कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप न करें न ही अपने एवं अन्य से करावें वादी भी प्रतिवादीगण की आराजी में कोई हस्तक्षेप न करें पश्चात डिक्री पत्रावली नियमानुसार अंकन बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। इक्तिजा सुनाया गया।

अधिकारी